संख्या- 104/2018/1396/71-1-2018-जी-93/2016

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज, आगरा एवं चिकित्सालय के ओल्ड सर्जरी भवन के जीर्णोद्वार/रिनोवेशन हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मेडिकल कालेज, आगरा एवं चिकित्सालय के ओल्ड सर्जरी भवन के जीर्णोद्वार/रिनोवेशन हेतु रू0 413.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 165.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-108/2016/352/71-1-2016-जी-93/2016, दिनॉक 31-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि रू0 165.50 लाख कतिपय कारणों से आहरित न हो पाने के कारण पुन: शासनादेश संख्या-131/2016/1445/71-1-2016-जी-93/2016, दिनॉक 25-05-2016 द्वारा उक्त धनराशि रू0 165.50 लाख अवमुक्त की गई। शासनादेश संख्या-61/2017/613/71-1-2017-जी-93/2016, दिनॉक 31-03-2017 द्वारा रू0 241.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। उक्त धनराशि भी कतिपय कारणों से आहरित नहीं की जा सकी।

2- इस विषय में आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3922, दिनॉक 22-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आगरा एवं चिकित्सालय के ओल्ड सर्जरी भवन के जीर्णोद्वार/रिनोवेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों के जीर्णोद्वार हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 30,00,00,000/- (रू0 तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 1,20,00,000/- (रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

3- उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रबन्धक की होगी।

4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्वार-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव

संख्या:- 104/2018/1396(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।